न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संः–376/2026

सी0एन0आर0नं0–यू0पी0जे0पी0 010042662026

1. गीता देवी पत्नी स्व0 अशोक सरोज
2. दीपिका पुत्री सजीवन

निवासीगण–पूरा बघेला, थाना सिकरारा, जिला जौनपुर।

..... आवेदिकागण/अभियुक्तागण।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–175/2025
धारा–76, 115(2), 351(2), 352, 117(2) बी0एन0एस0,
थाना–सिकरारा, जिला जौनपुर।

09.06.2026

आवेदिकागण/अभियुक्तागण गीता देवी व दीपिका द्वारा मु0अ0सं0–147/2025 धारा–76, 115(2), 351(2), 352, 117(2) बी0एन0एस0, थाना–सिकरारा, जिला–जौनपुर के प्रकरण में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि दिनांक 20.05.2025 को समय करीब 03:30 बजे दिन में पुरानी रंजिश को लेकर वादी के पट्टीदार अभिनेश उर्फ सन्तोष व आशीष, गीता देवी, दीपिका और दो अज्ञात व्यक्ति वादी के पिता कमला प्रसाद को भद्दी भद्दी गालियां देते हुये लात, मुक्का और लाठी, डण्डा से मारे पीटे। मुल्जिमान जान से मारने की नियत से उनके सिर पर लाठी, डण्डा से मारा जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आयी और वह बेहोश हो गये। शोर सुनकर मौके पर प्रियंका, ममता, चन्दा और वह व अन्य कई लोग पहुंचे। मुल्जिमान ने प्रियांशी जो मौके पर बचाने आयी को भी मारा पीटा तथा उसके कपड़े भी फाड़ दिये तथा बेइज्जत करने का प्रयास किया, मौके लोगों के आ जाने पर जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। उपरोक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदिकागण/अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदिकागण निर्दोष है। उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदिकागण घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी। आवेदिकागण के विरूद्ध लगाये गये आरोप गलत व निराधार हैं। पीड़िता ने 183 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत बयान किया कि अभिनेश ने उसके उपर का कपड़ा फाड़ दिया। गीता व दीपिका ने उसे मारा। प्रकरण में सजा का प्रावधान 7 वर्ष से कम है। आवेदिकागण को मात्र परेशान करने की नियत से अभियुक्त बनाया गया है। आवेदिकागण ने माननीय उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदिकागण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधारों पर आवेदिकागण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तागण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा के पिता को जान से मारने की नियत से लाठी, डण्डा से मारने–पीटने व पीड़िता को बेइज्जत करने के आशय से उसके कपड़े फाड़े जाने कथन किया गया है। चोटहिल की आघात आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें उसको कुल 7 चोटे आना अंकित है। चोटहिल की एक्सरे रिपोर्ट में Xray skull- NAD, Xray left shoulder- NAD, Xray chest- showing fracture 2,3 and 4th left ribs

(multiple ribs) underview अंकित है। मामले में वर्तमान अभियुक्तागण की कोई विशिष्ट भूमिका दर्शित नहीं की गयी है। घटनाक्रम में पीड़िता को भी कुल 3 चोटे आना अंकित है जो सामान्य प्रकृति की है। पीड़िता के द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में कथन किया गया है कि अभिनेष ने मेरे ऊपर का कपड़ा फाड़ दिया और गीता व दीपिका मुझे सिर पर हाथ से मारा था, जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान अभियुक्तागण के हाथों में लाठी, डण्डा या कोई हथियार नहीं था। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान अभियुक्तागण द्वारा पीड़िता के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया तथा न ही पीड़िता को मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचायी गयी है। मामले में अभियुक्तागण महिलाये हैं तथा प्रकरण में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पीड़िता के बयानो के अवलोकन से वर्तमान अभियुक्तागण के विरूद्ध धारा 76 बी0एन0एस0 का कोई अपराध बनता प्रतीत नहीं हो रहा है तथा अभियुक्तागण के विरूद्ध लगाये गये अन्य अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मामले में अभियुक्त अभिनेष की जमानत न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, जौनपुर के द्वारा निरस्त की जा चुकी है, परन्तु मामले में वर्तमान अभियुक्तागण की भूमिका अभियुक्त अभिनेष से भिन्न है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अब किसी साक्ष्य का संकलन होना शेष नहीं है। थाने की प्रस्तरवार आख्या में अभियुक्तागण के विरूद्ध इस मुकदमे के अलावा अन्य कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कुछ शर्तों के साथ अभियुक्तागण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दौरान विचारण गिरफ्तार किये जाने की स्थिति में, आवेदिकागण/अभियुक्तागण गीता देवी व दीपिका द्वारा मु0अ0सं0–147/2025 धारा–76, 115(2), 351(2), 352, 117(2) बी0एन0एस0, थाना–सिकरारा, जिला–जौनपुर के प्रकरण में प्रत्येक अभियुक्ता के द्वारा मु0–50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इसी धनराशि की दो–दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर प्रस्तुत करने पर तथा निम्नलिखित शर्तो के साथ उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निर्देश दिया जाता है कि–

1. अभियुक्तागण न्यायालय में प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगी तथा मामले के विचारण में सहयोग करेंगी।
2. अभियुक्तागण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से साक्षीगण को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगी।
3. अभियुक्तागण जमानत के दौरान किसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होंगी।

अधिरोपित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में अग्रिम जमानत स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

<u>दिनांक 09.06.2026</u>

प्र0 सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।